

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9)

संख्या 116-6/2017- एनएसएल- II — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i), (iii) तथा (v) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एतद्वारा दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) कहा जाएगा ।
- (2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह माह पश्चात् लागू होंगे ।
2. दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) (इसके पश्चात् मूल विनियम कहा जाएगा) के विनियम 2 में,—

(क) खण्ड (क) में "एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस या एकीकृत लाइसेंस (एक्सेस सेवा) या एकीकृत लाइसेंस जिसके तहत एक्सेस सेवा उपलब्ध कराने का प्राधिकार है" शब्दों के पश्चात् "या एकीकृत लाइसेंस (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर) जिसके पास एक्सेस सेवा उपलब्ध कराने का प्राधिकार है", को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) खंड (खक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(खख) अनुषंगी सेवा प्रभार का अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दर पर मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को भुगतान किए गए प्रभार, जिसमें निम्नलिखित द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रभार शामिल हैं:-

- (i) भुगतान न किए जाने सहित किसी भी कारण से मोबाइल नम्बर के बंद हो जाने के कारण मोबाइल नम्बर की वापसी को सुगम बनाने हेतु नम्बर रेंज होल्डर द्वारा;
 - (ii) नंबर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस को डॉउनलोड करने के लिए एक्सेस प्रदाता द्वारा;
 - (iii) सब्सक्राइबर द्वारा पोर्टिंग की वापसी के अनुरोध के निष्पादन हेतु दाता प्रचालक द्वारा;
 - (iv) पोर्ट किए गए सब्सक्राइबर को अपने नेटवर्क पर पुनः जोड़ने के लिए प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा;
 - (v) ऐसे 'पोस्ट पेड सब्सक्राइबर' जिसने अपने नम्बर को पोर्ट करने के पश्चात् दाता प्रचालक की देयताएं न चुकाई हों, उसके मोबाइल नम्बर को बंद करने हेतु दाता प्रचालक द्वारा;
- (ग) खंड (ड.) में शब्द "कोई सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदाता अथवा एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदाता" के स्थान पर शब्द "एक एक्सेस प्रदाता" को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

- (घ) खंड (अख) में शब्द “किसी एमएनपी क्षेत्र में” को शब्द “लाइसेंस सेवा क्षेत्र के लिए” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ङ) खंड (अख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
- (जग) “नेटवर्क सेवा प्रचालक” का अभिप्राय एकीकृत लाइसेंस (वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक) के तहत परिभाषित प्रचालक से है, जो दूरसंचार कोर नेटवर्क का स्वामी है तथा वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक को कोर नेटवर्क सेवा प्रदान करता है ताकि वह एक्सेस नेटवर्क तथा गेटवे के विभिन्न भागों को अन्य नेटवर्कों के साथ जोड़ सके;”
- (च) खंड (ढ) में शब्द “पोर्टिंग अनुरोध के प्रक्रमण” के स्थान पर शब्द “प्रत्येक सफल पोर्टिंग” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (छ) खंड (न) में, “किसी एक्सेस प्रदाता द्वारा” शब्दों के स्थान पर “क्षेत्र के मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता जिससे नम्बर संबद्ध है” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

3. मूल विनियमों के विनियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“5 विशेष पोर्टिंग कोड के आवंटन करने हेतु तंत्र स्थापित करने का दायित्व — (1) प्रत्येक एक्सेस प्रदाता, अपने मोबाइल नेटवर्क में विशेष पोर्टिंग कोड हेतु अनुरोध करने वाले इसके सब्सक्राइबरों से शार्ट मैसेज सेवा (एसएमएस) संदेश प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ एक तंत्र विकसित करेगा तथा इसे उस मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी क्षेत्र में भेजेगा, जिससे मोबाइल नम्बर संबद्ध है;

(2) प्रत्येक मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क में निम्न के प्रयोजन के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा —

- (क) विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अनुसार दाता प्रचालक द्वारा अग्रेषित विशेष पोर्टिंग कोड हेतु अनुरोध प्राप्त करने के लिए;
- (ख) विशेष पोर्टिंग कोड हेतु अनुरोध को अस्वीकृत किए जाने के लागू आधारों के संबंध में ‘क्वेरी रिस्पांस सिस्टम’ के माध्यम से दाता प्रचालक के डाटाबेस से जांच करना;
- (ग) ऐसे प्रत्येक अनुरोध के लिए एक विशेष पोर्टिंग कोड आवंटित करना तथा शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) के माध्यम से सब्सक्राइबर को इसके संबंध में जानकारी प्रदान करना; और
- (घ) प्राप्तकर्ता प्रचालक से प्राप्त होने वाले ऐसे सब्सक्राइबर के पोर्टिंग अनुरोध के सत्यापन के प्रयोजनार्थ अपने अभिलेखों पर ऐसे विशेष पोर्टिंग कोड को बनाए रखना।

परन्तु यह कि मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता-----

- (क) कारपोरेट मोबाइल नम्बरों से प्राप्त अनुरोध की एक विशेष पहचान सुनिश्चित करेगा तथा ‘सी’ उपसर्ग के साथ एक विशेष पोर्टिंग कोड आवंटित करेगा;

(ख) एक से अधिक कारपोरेट मोबाइल नम्बरों की पोर्टिंग हेतु एक साथ अनुरोध प्राप्त होने पर, प्रत्येक कारपोरेट मोबाइल नंबर हेतु एक विशेष पोर्टिंग कोड आवंटित करेगा।”

4. मूल विनियमों के विनियम 6 में, विनियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“6क. मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड आबंटन से पूर्व की जाने वाली प्रक्रिया – (1) विशेष पोर्टिंग कोड हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर संबंधित मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता अपने डाटाबेस से निम्नलिखित शर्तों की जांच करेगा कि क्या:-

(क) मोबाइल नम्बर पहले भी पोर्ट हुआ है और यदि ऐसा है तो क्या पिछली पोर्टिंग से लेकर अब तक नब्बे दिनों की अवधि समाप्त नहीं हुई है;

(ख) इस मोबाइल नम्बर के लिए पोर्टिंग अनुरोध पहले ही प्रक्रियाधीन है; और

(ग) विशेष पोर्टिंग कोड पहले ही जारी किया जा चुका है तथा इसकी अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई है।

(2) जहां मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता यह पाता है कि उप-विनियम 1 में उल्लिखित खंड (क) अथवा (ख) अथवा (ग) लागू हैं, तो मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता विशेष पोर्टिंग कोड का सृजन नहीं करेगा तथा विशेष पोर्टिंग कोड को सृजित नहीं किए जाने के कारण की एसएमएस द्वारा सब्सक्राइबर को जानकारी देगा।

(3) जहां मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता यह पाता है कि उप-विनियम 1 में उल्लिखित खंड (क) तथा (ख) और (ग) लागू नहीं हैं, तो वह दाता प्रचालक के डाटाबेस पर रियल टाइम आधार पर तुरंत जांच करेगा कि क्या :-

(क) यह नम्बर कॉरपोरेट मोबाइल नम्बर है;

(ख) लंबित बिल के रूप में पोस्ट-पेड सब्सक्राइबर से बकाया भुगतान देय हो, जिन्हें सामान्य बिलिंग चक्र के अनुसार परंतु विशेष पोर्टिंग कोड के लिए आवेदन की तारीख से पूर्व जारी किया गया है;

(ग) पोर्टिंग अनुरोध नये कनेक्शनों की एक्टिवेशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व किया गया है;

(घ) मोबाइल नम्बर के स्वामित्व में परिवर्तन के अनुरोध पर कार्रवाई चल रही है;

(ङ) पोर्ट किए जाने के लिए आशियत मोबाइल नंबर पर मामला न्यायालय में चल रहा है;

(च) मोबाइल नंबर की पोर्टिंग न्यायालय द्वारा प्रतिषिद्ध की गई है;

(छ) जहां संविदात्मक दायित्व हों, जिनके संबंध में सब्सक्राइबर करार में एक निर्गम खंड का प्रावधान किया गया हो परंतु सब्सक्राइबर ने ऐसे निर्गम खंड का अनुपालन नहीं किया है;

- (4) दाता प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसका 'क्वैरी रिस्पांस सिस्टम', मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा यथा अपेक्षित, उपविनियम (3) के तहत रीयल टाइम आधार पर प्रतिक्रिया प्रदान करे।
- (5) मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, सब्सक्राइबर के पोर्टिंग अनुरोध को प्राप्तकर्ता प्रचालक से प्राप्ति होने के उपरांत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उप-विनियम (3) के तहत प्राप्त की गई जानकारी का रखरखाव करेगा।
- (6) यदि मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, यह पाता है कि सब्सक्राइबर का अनुरोध उप-विनियम (3) की खंड (ख) से (छ) में अंतर्विष्ट आधार पर कवर नहीं होता है तो वह सब्सक्राइबर को एक विशेष पोर्टिंग कोड आवंटित करेगा तथा उसे एसएमएस के माध्यम से सब्सक्राइबर को संप्रेषित करेगा।

परन्तु यह कि कॉरपोरेट मोबाइल नंबर हेतु विशेष पोर्टिंग कोड से पूर्व अक्षर "सी" लगाया जाएगा।

- (7) यदि मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, दाता प्रचालक के डाटाबेस से किसी भी तकनीकी कारण से जानकारी की जांच नहीं कर पाता है तो, जैसा कि उप-विनियम (3) में उपबंध किया गया है, वह सब्सक्राइबर को विशेष पोर्टिंग कोड के अनुरोध की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए तथा यह जानकारी देते हुए एक एसएमएस भेजेगा, कि तकनीकी कारण के चलते विशेष पोर्टिंग कोड भेजने में विलम्ब हो रहा है तथा इसे जल्द ही भेज दिया जाएगा।

परन्तु यह कि जहां मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, यह पाता है कि तकनीकी कारण के चलते विशेष पोर्टिंग कोड का सृजन नहीं किया जा सकता है, वह तुरंत ही ऐसे तकनीकी मुद्दे के लिए डॉकेट बनाकर दाता प्रचालक को सतर्क करते हुए एक संदेश भेजेगा तथा वह ऐसे तकनीकी मुद्दे का समाधान होने पर पुनः दाता प्रचालक के डाटाबेस से जांच करेगा।

- (8) जहां पोर्टिंग किए जाने वाले मोबाइल नम्बर के लिए विनियम 6 के उप-विनियम (3) के तहत उपबंधित खंड (ख) से (छ) में अंतर्विष्ट एक या एक से अधिक शर्तें लागू होती हों तो, मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, सब्सक्राइबर को विशेष पोर्टिंग कोड जारी नहीं करेगा तथा मोबाइल सब्सक्राइबर को एसएमएस के माध्यम से विशेष पोर्टिंग कोड सृजित नहीं करने के कारण के संबंध में जानकारी भेजेगा तथा ऐसे रिकॉर्ड को कम से कम छह माह की अवधि के लिए बनाए रखेगा।

5. मूल विनियमों के विनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"8 प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही:— (1) सब्सक्राइबर से पोर्टिंग अनुरोध की प्राप्ति पर प्राप्तकर्ता प्रचालक, सब्सक्राइबर के मोबाइल नम्बर, जिसे पोर्ट किया जाना हो, से दाता प्रचालक के विनिर्दिष्ट लघु कोड, पर एसएमएस के माध्यम से संदेश भेजने को कहता है।

- (2) मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता से विशेष पोर्टिंग कोड की प्राप्ति पर, सब्सक्राइबर इसे पोर्टिंग अनुरोध प्ररूप में अंतर्विष्ट करेगा।
- (3) प्राप्तकर्ता प्रचालक, सब्सक्राइबर से पोर्टिंग अनुरोध प्ररूप के साथ-साथ मोबाइल नम्बर को आवंटित किए गए विशेष पोर्टिंग कोड की प्राप्ति पर यह सुनिश्चित करने के लिए 'सब्सक्राइबर अर्जन प्ररूप' का सत्यापन करेगा कि यह विनियम 7 में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के साथ है।

- (4) प्राप्तकर्ता प्रचालक, 'सब्सक्राइबर अर्जन प्ररूप' में तथ्य को दर्ज करेगा कि उसने सब्सक्राइबर को देख लिया है तथा उसने उसके दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित मूल दस्तावेजों से कर लिया है और उसे सही पाया है।
- (5) प्राप्तकर्ता प्रचालक, चौबीस घंटे की अवधि के भीतर, मोबाइल नंबर, संबंधित विशेष पोर्टिंग कोड तथा वह तारीख जिसको सब्सक्राइबर द्वारा पोर्टिंग हेतु अनुरोध किया गया है, उसे, एमएनपी क्षेत्र के मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता, जिससे पोर्टिंग किए जाने वाले मोबाइल नंबर का नंबर रेंज होल्डर संबद्ध है, को अग्रेषित करेगा तथा साथ ही जैसे ही पोर्टिंग अनुरोध आरंभ किया जाता है सब्सक्राइबर को पोर्टिंग हेतु उसके अनुरोध को प्रस्तुत किए जाने के बारे में सूचित करते हुए एक एसएमएस भेजेगा।
- (6) कॉरपोरेट मोबाइल नंबर के मामले में प्राप्तकर्ता प्रचालक, एमएनपी क्षेत्र के मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता जिससे पोर्टिंग किए जाने वाले मोबाइल नंबर का नंबर रेंज होल्डर संबद्ध है, को ऐसे मोबाइल नंबर की पोर्टिंग को अनुमति देते हुए, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र की स्कैन प्रति को भी भेजेगा।

परन्तु यह कि कारपोरेट मोबाइल नंबर के लिए, मोबाइल नंबर आदि को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को अग्रेषित किए जाने की समयावधि पोर्टिंग अनुरोध की प्राप्ति से अड़तालीस घंटे होगी :

परन्तु आगे यह कि कॉरपोरेट मोबाइल नंबर के मामले में एक से अधिक तथा अधिकतम सौ मोबाइल नंबर की पोर्टिंग को अनुमति देते हुए प्राधिकार पत्र की प्रति को अग्रेषित किया जाना, उप-विनियम 6 के प्रयोजनार्थ पर्याप्त होगी:

परन्तु आगे यह भी कि उप-विनियम (6) में विनिर्दिष्ट चौबीस घंटे तथा द्वितीय परंतुक में विनिर्दिष्ट अड़तालीस घंटे की अवधि का आकलन करते समय, परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (1881 का संख्यांक 26) के अधीन घोषित बीच में पड़ने वाले रविवारों तथा सार्वजनिक अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा।

- (7) प्राप्तकर्ता प्रचालक, मोबाइल नंबर की प्रत्येक सफल पोर्टिंग पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार का भुगतान करने का दायी होगा;

परन्तु यह कि प्राप्तकर्ता प्रचालक, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट सेवा की गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन करेगा।”

6. मूल विनियमों के विनियम 9 में निम्नलिखित विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“9. मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा की जाने वाली कार्यवाही — (1) विशेष पोर्टिंग कोड हेतु अनुरोध की प्राप्ति पर, संबंधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता अपने डाटाबेस से यह जांच करेगा कि:-

(क) मोबाइल नंबर पहले भी पोर्ट हुआ है और पिछली पोर्टिंग से लेकर अब तक नब्बे दिनों की अवधि समाप्त नहीं हुई है:

(ख) इस मोबाइल नंबर के लिए पोर्टिंग अनुरोध पहले ही प्रक्रियाधीन है; और

(ग) विशेष पोर्टिंग कोड पहले ही जारी किया जा चुका है तथा इसकी अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई है।

- (2) जहां मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता यह पाता है कि उप-विनियम 1 में उल्लिखित खंड (क) अथवा (ख) अथवा (ग) लागू हैं, तो वह विशेष पोर्टिंग कोड का सृजन नहीं करेगा तथा विशेष पोर्टिंग कोड को सृजित नहीं किए जाने के कारण की एसएमएस द्वारा सब्सक्राइबर को जानकारी देगा।
- (3) जहां मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता यह पाता है कि उप-विनियम (1) की शर्तें (क) और (ख) और (ग) लागू नहीं हैं, वह विनियम 6क के उप-विनियम (3) में अंतर्विष्ट (क) से (छ) शर्तों हेतु जांच करेगा।
- (4) यदि मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता यह पाता है कि सब्सक्राइबर का अनुरोध विनियम 6क के उप-विनियम (3) की खंड (ख) से (छ) में अंतर्विष्ट आधारों पर कवर नहीं होता है तो वह सब्सक्राइबर को एक विशेष पोर्टिंग कोड आवंटित करेगा तथा उसे एसएमएस के माध्यम से सब्सक्राइबर को सम्प्रेषित करेगा।
- (5) यदि मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, दाता प्रचालक के डाटाबेस से किसी भी तकनीकी कारण से जानकारी की जांच नहीं कर पाता है तो, जैसा कि विनियम 6 के उप-विनियम (3) में उपबंध किया गया है, वह सब्सक्राइबर को विशेष पोर्टिंग कोड के अनुरोध की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए तथा यह जानकारी देते हुए एक एसएमएस भेजेगा कि तकनीकी कारण के चलते विशेष पोर्टिंग कोड भेजने में विलम्ब हो रहा है तथा इसे जल्द ही भेज दिया जाएगा।

परन्तु यह कि जहां मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, यह पाता है कि तकनीकी कारण के चलते विशेष पोर्टिंग कोड का सृजन नहीं किया जा सकता है, वह तुरंत ही ऐसे तकनीकी मुद्दे के लिए डॉकेट बनाकर दाता प्रचालक को सतर्क करते हुए एक संदेश भेजेगा तथा वह ऐसे तकनीकी मुद्दे का समाधान होने पर पुनः दाता प्रचालक के डाटाबेस से जांच करेगा।

- (6) जहां पोर्टिंग किए जाने वाले मोबाइल नम्बर के लिए विनियम 6क के उप-विनियम (3) के तहत उपबंधित खंड (ख) से (छ) में अंतर्विष्ट एक या एक से अधिक शर्तें लागू होती हों तो, मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, सब्सक्राइबर को विशेष पोर्टिंग कोड जारी नहीं करेगा तथा मोबाइल सब्सक्राइबर को एसएमएस के माध्यम से विशेष पोर्टिंग कोड सृजित नहीं करने के कारण के संबंध में जानकारी भेजेगा तथा ऐसे रिकॉर्ड को कम से कम छह माह की अवधि के लिए बनाए रखेगा।
- (7) प्राप्तकर्ता प्रचालक से पोर्टिंग अनुरोध प्राप्त होने पर, मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता इस तथ्य का सत्यापन करेगा कि क्या:—

- (क) इस मोबाइल नंबर के लिए पोर्टिंग अनुरोध प्रक्रियाधीन नहीं है;
- (ख) पोर्टिंग अनुरोध के साथ प्राप्त विशेष पोर्टिंग कोड, पोर्टिंग किए जाने वाले मोबाइल नम्बर के लिए उसके डाटाबेस से सृजित विशेष पोर्टिंग कोड से मेल खाता है;
- (ग) विशेष पोर्टिंग कोड पोर्टिंग हेतु अनुरोध प्राप्त होने की तारीख पर वैध है।

(8) जहां उप-विनियम (7) के तहत खंड (क), (ख) और (ग) में अंतर्विष्ट कोई भी शर्त सकारात्मक नहीं हो तो मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता मौजूदा अनुरोध को अस्वीकृत कर देगा तथा ऐसी अस्वीकृति को, प्राप्तकर्ता प्रचालक तथा संबंधित सब्सक्राइबर को अस्वीकृति के कारण सहित संसूचित करेगा।

(9) उप-विनियम (7) की खंड (क), (ख) और (ग) में अंतर्विष्ट शर्तों के सफलतापूर्वक वैधीकरण किए जाने पर, मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता :-

(क) कॉरपोरेट मोबाइल नंबर के अलावा सभी मामलों में, पोर्टिंग हेतु ऐसे अनुरोध को दाता प्रचालक को अंतरा-लाइसेंस सेवा क्षेत्र पोर्टिंग अनुरोधों के मामले में दो कार्यदिवस तथा अंतर-लाइसेंस सेवा क्षेत्र पोर्टिंग अनुरोधों के मामले में चार कार्य दिवसों के पूर्ण हो जाने पर नियत कर भेजेगा तथा सब्सक्राइबर को पोर्टिंग कार्यक्रम के बारे में तथा पोर्टिंग अनुरोध की प्राप्ति के समय से चौबीस घंटे तक पोर्टिंग अनुरोध वापस लेने हेतु उपलब्ध विकल्प के बारे में एसएमएस के द्वारा जानकारी प्रदान करेगा;

(ख) कॉरपोरेट मोबाइल नंबरों के मामले में, जहां विशेष पोर्टिंग कोड से पूर्व "सी" वर्ण उपसर्ग लगा है, ऐसे अनुरोधों के ब्योरे तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक से प्राप्त प्राधिकार पत्र की स्कैन की गई प्रति को दाता प्रचालक को पोर्टिंग की अनुमति प्रदान करने के लिए भेजेगा तथा सब्सक्राइबर को एसएमएस के माध्यम से पोर्टिंग अनुरोध की प्राप्ति के समय से चौबीस घंटे तक उसे पोर्ट अनुरोध वापस लेने हेतु उपलब्ध विकल्प के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित करेगा;

(ग) दाता प्रचालक द्वारा विनियम के उप-विनियम (9) की खंड (ख) के तहत किए गए पोर्टिंग अनुरोध को विनियम 10 में यथा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर स्वीकृति प्रदान किए जाने पर, अगले छत्तीस घंटों में पोर्टिंग को नियत कर सब्सक्राइबर को एसएमएस के माध्यम से सूचित करेगा;

(घ) दाता प्रचालक द्वारा विनियम के उप-विनियम (9) के खंड (ख) के तहत किए गए पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकृत किए जाने पर एसएमएस के माध्यम से सब्सक्राइबर को ऐसे पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकृत किए जाने के कारणों की जानकारी प्रदान करेगा तथा ऐसे रिकार्ड का कम से कम बारह माह के लिए रखरखाव करेगा;

(ङ) विनियम 9 के उप-विनियम (9) के खंड (ख) के तहत किए गए पोर्टिंग अनुरोध के मामले में जहां विनियम 10 में यथा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दाता प्रचालक द्वारा कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, पोर्टिंग को अगले छत्तीस घंटों के भीतर नियत कर सब्सक्राइबर को एसएमएस के माध्यम से जानकारी प्रदान करेगा।

परन्तु यह कि अंतरा-लाइसेंस सेवा क्षेत्र पोर्टिंग अनुरोध तथा अंतर-लाइसेंस सेवा क्षेत्र पोर्टिंग अनुरोध हेतु क्रमशः दो और चार कार्य दिवसों का आकलन करते समय, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का संख्यांक 26) के अधीन घोषित बीच में पड़ने वाले रविवारों तथा सार्वजनिक अवकाशों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा;

परन्तु आगे यह कि ऐसे मामले जहां विशेष पोर्टिंग कोड को "सी" उपसर्ग के साथ सृजित किया गया हो परन्तु प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग अनुरोध प्राधिकार पत्र को अग्रेषित नहीं किया गया हो, साथ ही ऐसे मामलों में भी जहां विशेष पोर्टिंग कोड से पूर्व "सी" उपसर्ग नहीं लगा हो और प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा प्राधिकार पत्र को अग्रेषित कर दिया

गया हो, उन स्थितियों में मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे अनुरोधों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा सब्सक्राइबर तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक को तदनुसार जानकारी दी जाएगी:

परन्तु आगे यह भी कि मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट सेवा गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन करेगा।”

7. मूल विनियमों के विनियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“10. दाता प्रचालक द्वारा कार्यवाही :— (1) दाता प्रचालक अपने नेटवर्क पर क्वेरी रिस्पांस सिस्टम स्थापित करेगा ताकि मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, दाता प्रचालक के डाटाबेस तक रीयल टाइम आधार पर पहुंच बना सके तथा विनियम 6क के उपविनियम (3) के तहत खंड (क) से (ख) में सूचीबद्ध शर्तों के संबंध में जांच कर सके।

(2) विनियम 9 के उप-विनियम (9) के खंड (ख) के तहत पोर्टिंग अनुरोध की प्राप्ति पर दाता प्रचालक चार कार्य दिवसों के भीतर ऐसे ब्योरे का सत्यापन करेगा तथा जहां यह पाता हो कि पोर्टिंग अनुरोध विनियम 12 के खंड (झ) के तहत कॉरपोरेट मोबाइल नंबर हेतु विनिर्दिष्ट आधार पर कवर होता है, मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता को इसकी जानकारी प्रदान करेगा कि:-

(क) उसे अपने नेटवर्क से मोबाइल नंबर के पोर्टिंग के संबंध में आपत्ति है; अथवा

(ख) उसे मोबाइल नंबर के पोर्टिंग अनुरोध हेतु अनुमति प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है;

परन्तु यह कि इस उप-विनियम में यथा निर्दिष्ट कार्यदिवस का आकलन करते समय, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का संख्यांक 26) के अधीन घोषित बीच में पड़ने वाले रविवारों तथा घोषित सार्वजनिक अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा :-

परन्तु आगे यह कि प्रदाता प्रचालक, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट सेवा गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन करेगा:

8. मूल विनियमों के विनियम 11 में ----

“(क) उप-विनियम (1) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(क) जहां दाता प्रचालक ने विनियम 10 के उप-विनियम (2) की खंड (क) के तहत पोर्टिंग के अनुरोध को अस्वीकृत किए जाने के आधार को इंगित किया हो, तत्काल उसे एसएमएस के माध्यम से मोबाइल सब्सक्राइबर को सूचित करेगा तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक के सूचनार्थ एक प्रति भेजेगा।”

(ख) उप-विनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(7क) मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, नए प्रचालकों के अलावा एक्सेस प्रदाताओं से नम्बर पोर्टिबिलिटी डाटाबेस के डाउनलोड के अनुरोध की प्राप्ति पर अपनी प्रणाली से ऐसे डाउनलोड की अनुमति प्रदान करेगा तथा एक्सेस प्रदाता मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता को डाउनलोड करने हेतु प्रभारों का भुगतान ऐसी दरों पर करेगा जिन्हें समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।”

9. मूल विनियमों के विनियम 12 में –

(क) खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) और (झ) का विलोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ज) के पश्चात् पहले परंतुक में “खण्ड (क) से (ज) में विनिर्दिष्ट किन्हीं कारणों के चलते” शब्दों के स्थान पर “खण्ड (झ) में विनिर्दिष्ट आधार” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) खण्ड (ज) के पश्चात् द्वितीय परंतुक में शब्दों “खंड (ज) और (झ)” के स्थान पर शब्दों “खण्ड (झ)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

10. मूल विनियमों के विनियम 13 में निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

“13. पोर्टिंग अनुरोध की वापसी : (1) कोई भी सब्सक्राइबर, मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा सम्प्रेषित पोर्टिंग के अनुरोध वापस लेने की अवधि के दौरान चौबीस घंटों के भीतर मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता को विनिर्दिष्ट लघु कोड के माध्यम से एसएमएस भेजकर पोर्टिंग अनुरोध को वापस कर सकता है।

(2) जहां, मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता यह पाता है कि सब्सक्राइबर द्वारा पोर्टिंग अनुरोध वापस लेने का निवेदन मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता को प्राप्तकर्ता आपरेटर द्वारा, पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत करने के चौबीस घंटों के भीतर प्राप्त हो गया है, इस स्थिति में वह पोर्टिंग को रद्द करेगा तथा भावी पोर्टिंग हेतु इस विशेष पोर्टिंग कोड को अमान्य करेगा, तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक तथा सब्सक्राइबर को सूचित करेगा: बशर्ते कि दाता प्रचालक, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता को इस प्रकार के रद्दीकरण हेतु प्रभारों का भुगतान करेगा।

(3) यदि मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता को प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा मोबाइल नम्बर पोर्टिंग का अनुरोध प्रस्तुत करने के चौबीस घंटे बाद पोर्टिंग अनुरोध वापस लेने का अनुरोध प्राप्त होता है तो वह सब्सक्राइबर को एसएमएस के माध्यम से सूचित करेगा कि पोर्टिंग के अनुरोध को वापस लेने का समय समाप्त हो गया है तथा वह विनियम 9 के उप विनियम (9) की खंड (क) (ग) और (ङ) के अनुसार एक्टिवेट करने तथा डि-एक्टिवेट करने की नियत तारीख एवं समय के अनुरूप कार्यवाही करेगा।”

11. मूल विनियमों के विनियम 14 में उप-विनियम (5) में शब्दों “प्राप्तकर्ता प्रचालक को” के बाद तथा “ऐसे बकाया बिलों के विवरण” शब्दों से पूर्व, “बिल की तारीख, भुगतान की अंतिम तारीख, नोटिस की तारीख तथा सब्सक्राइबर को दी गई नोटिस की अवधि सहित” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

12. मूल विनियमों के विनियम 15 में:—

(क) उप-विनियम (1) में “समय-समय पर यथानिर्दिष्ट” के पश्चात् तथा “प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार” शब्दों के पहले, “और सब्सक्राइबर पुनर्संयोजन प्रभार” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-विनियम (4) में द्वितीय परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु आगे यह कि यदि सब्सक्राइबर प्रथम परंतुक में संदर्भित भुगतान करता है, तथा ऐसे भुगतान का साक्ष्य, सेवा बंद करने के साठ दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता प्रचालक को उपलब्ध कराता है तो सब्सक्राइबर की सेवाओं को तुरंत बहाल किया

जाएगा तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को इस प्रकार सेवा बहाली के बारे में सूचित करेगा तथा ऐसे मोबाइल नम्बर के संबंध में इसके नंबर रेंज होल्डर को वापस करने के अनुरोध को वापस लेगा।”

13. मूल विनियमों के विनियम 16 में, —

(क) उप-विनियम (2) में “पोर्टिंग” के बाद तथा “और डिपिंग” शब्दों से पूर्व, “विशेष पोर्टिंग कोड आवंटन तथा सत्यापन” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(3) (क) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता, मोबाइल सब्सक्राइबर से विशेष पोर्टिंग कोड हेतु प्राप्त अनुरोधों की संख्या, सफलतापूर्वक आवंटित विशेष पोर्टिंग कोड की संख्या तथा ऐसे अनुरोधों की संख्या जहां कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई अथवा दाता प्रचालक द्वारा विलम्ब से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, के संबंध में रिपोर्ट सृजित करेगा तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर कोई अपेक्षित अन्य रिपोर्ट भी तैयार करेगा।”

(ग) उप-विनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(5क) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता, प्राप्तकर्ता प्रचालक के नेटवर्क में पोर्ट किए गए सब्सक्राइबर के पुनर्संयोजन को सुगम बनाने हेतु प्रभारों के संबंध में प्रासंगिक विवरणों के साथ, मासिक आधार पर बिल प्रदान करेगा तथा ऐसे बिलों को आगामी माह की दस तारीख से पूर्व अथवा ऐसे आवधिक अंतरालों पर तथा ऐसी समय-सीमाओं के भीतर, जो कि पारस्परिक सहमति से निश्चित की जाए, संबंधित प्राप्तकर्ता प्रचालक को वितरित करेगा।

(5ख) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता, नंबर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस को डाउनलोड करने के लिए प्रभारों के संगत ब्योरे के साथ बिल तैयार करेगा तथा मासिक आधार पर ऐसे बिलों को संबंधित एक्सेस प्रदाता को आगामी माह की दस तारीख अथवा ऐसे आवधिक अंतरालों पर तथा ऐसी समय-सीमाओं के भीतर, जो कि पारस्परिक सहमति से निश्चित की जाए, वितरित करेगा।

(5ग) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता सब्सक्राइबर के पोर्टिंग अनुरोध वापस लेने के निवेदन के निष्पादन हेतु प्रभारों के संगत ब्योरे सहित बिलों को संबंधित दाता प्रचालक को मासिक आधार पर प्रदान करेगा तथा ऐसे बिलों को संबंधित दाता प्रचालक को आगामी माह की दस तारीख अथवा ऐसे आवधिक अंतरालों पर तथा ऐसी समय-सीमाओं के भीतर, जो कि पारस्परिक सहमति से निश्चित की जाए, वितरित करेगा।

(5घ) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता, गैर भुगतान सहित किसी भी कारण के चलते कनेक्शन काटे जाने के पश्चात् मोबाइल नम्बर की वापसी हेतु प्रभारों के संगत ब्योरे सहित नंबर रेंज होल्डर को मासिक आधार पर प्रदान करेगा तथा ऐसे बिलों को संबंधित नंबर रेंज होल्डर को आगामी माह की दस तारीख अथवा ऐसे आवधिक अंतरालों पर तथा ऐसी समय-सीमाओं के भीतर, जो कि पारस्परिक सहमति से निश्चित की जाए, वितरित करेगा।

(घ) उप-विनियम (6) में शब्द “प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभारों” के पश्चात् तथा “के लिए बिल” शब्दों से पूर्व, शब्द “और सब्सक्राइबर पुनर्संयोजन प्रभारों” अंतःस्थापित किए जाएंगे;

14. मूल विनियम के विनियम 17क को निम्नलिखित विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“17क – विनियम 6क, अथवा विनियम 8 अथवा विनियम 9 अथवा विनियम 10 अथवा विनियम 11 अथवा विनियम 12 के उपबंधों के उल्लंघन के परिणाम ——— (1) यदि कोई एक्सेस प्रदाता अथवा मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, विनियम 8 के उप-विनियम (5) अथवा विनियम 9 के उप-विनियम (9) अथवा विनियम 10 के उप-विनियम (2) अथवा विनियम 11 के उप-विनियम (4) अथवा विनियम 11 के उप-विनियम (6) का उल्लंघन करता है तो, उसके लाइसेंस की निबंधन और शर्तों, अधिनियम अथवा नियमों तथा विनियमों के उपबंधों, अथवा जारी आदेशों अथवा इसके तहत जारी निर्देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वित्तीय अनुत्साहन के माध्यम से ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जो कि प्रत्येक उल्लंघन के मामले में पांच हजार रुपये अथवा जैसा प्राधिकरण आदेश निदेश देगा, से अनधिक नहीं होगी।

(2) यदि कोई एक्सेस प्रदाता अथवा मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, विनियम 6क अथवा विनियम 10 के उप-विनियम (1) अथवा विनियम 12 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो, उसके लाइसेंस की निबंधन और शर्तों, अधिनियम अथवा नियमों तथा विनियमों के उपबंधों, अथवा जारी आदेशों अथवा इसके तहत जारी निर्देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वित्तीय अनुत्साहन के माध्यम से ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जो कि प्रत्येक उल्लंघन के मामले में पांच हजार रुपये अथवा जैसा प्राधिकरण आदेश निदेश देगा, से अनधिक नहीं होगी।

(3) उप-विनियम (1) तथा उप-विनियम (2) के तहत वित्तीय अनुत्साहन के माध्यम से किसी धनराशि के भुगतान के संबंध में कोई आदेश प्राधिकरण द्वारा नहीं दिया जाएगा, जब तक कि सेवा प्रदाता को प्राधिकरण द्वारा पाए गए विनियम के उल्लंघन के विरुद्ध अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव

टिप्पणी 1: मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग **III**, खंड 4 में दिनांक 23 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 116-4/2009-एमएन (खंड **II**) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था तथा निम्नलिखित के माध्यम से संशोधित किया गया था:

- (i) दिनांक 28 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 116-1/2010 (2010 का 1)
- (ii) दिनांक 02 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या 116-1/2010 (2010 का 5)
- (iii) दिनांक 08 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 116-5/2012 (2012 का 16)
- (iv) दिनांक 19 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या 116-5/2012 (2012 का 19)
- (v) दिनांक 22 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या 116-4/2013 (2013 का 9)
- (vi) दिनांक 25 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या 116-19/2014 (2015 का 3)

टिप्पणी 2: व्याख्यात्मक ज्ञापन इन विनियमों के उद्देश्यों तथा कारणों को स्पष्ट करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश में अंतरा लाइसेंस सेवा क्षेत्र मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के क्रियान्वयन करने के लिए बुनियादी कारोबार प्रक्रिया की रूपरेखा तय करते हुए 23 सितंबर, 2009 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) जारी किया था। एमएनपी की सुविधा पायलट आधार पर 25 नवंबर, 2010 को हरियाणा सेवा क्षेत्र में शुरू की गई थी और 20 जनवरी 2011 को इसे पूरे देश में लागू किया गया था। प्रारंभ में एमएनपी की सुविधा केवल लाइसेंस क्षेत्र के भीतर उपलब्ध कराई गई थी। बहरहाल, "एक राष्ट्र-पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी" के संबंध में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 के अनुसार, 3 जुलाई, 2015 से पूर्ण एमएनपी को क्रियान्वित किया गया था।
2. दाता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग के अनुरोध अस्वीकार करने के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं (एमएनपीएसपी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समय-समय पर निगरानी की जाती है। अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 की अवधि की रिपोर्ट का विश्लेषण करने से पता चलता है कि सभी श्रेणियों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा पोर्टिंग अनुरोधों को अस्वीकार करने का औसत 11.16 प्रतिशत (प्रतिमाह कुल अस्वीकरण औसत 5.87 लाख) था और "विशेष पोर्टिंग कोड मिसमैच" और "विशेष पोर्टिंग कोड समाप्त" के आधार पर अस्वीकरण, कुल अस्वीकरण का लगभग 40 प्रतिशत है। प्रतिमाह 52.35 लाख के औसत पोर्टिंग अनुरोधों के साथ, "विशेष पोर्टिंग कोड मिसमैच" और "विशेष पोर्टिंग कोड समाप्त" के आधार पर औसत अस्वीकरण मिलकर उपरोक्त अवधि के लिए लगभग 2.3 लाख थे। तदनुसार, दूरसंचार मोबाइल सब्सक्राइबर्स को पेश आ रही दिक्कतों का समाधान करने के लिए 16 अगस्त, 2017 का मसौदा को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन), विनियम, 2017 जारी किया गया था, जिसके तहत हितधारकों से 28 सितंबर 2017 तक टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। इस ड्राफ्ट विनियम में यह परिकल्पना की गई थी कि दाता प्रचालक विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने पर विशेष पोर्टिंग कोड के कंटेंट और वैधता को एमएनपीएसपी को अग्रपिछ करेगा, जिनसे बाद में, सब्सक्राइबर द्वारा प्रस्तुत विशेष पोर्टिंग कोड की सत्यता और वैधता की पुष्टि करने के लिए प्राप्तकर्ता ऑपरेटर संपर्क कर सकेंगे।
3. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच और विश्लेषण किया गया था। इन टिप्पणियों के अध्ययन में पाया गया था कि ड्राफ्ट एमएनपी विनियमों में प्रस्तावित संशोधनों, जैसा कि उपर्युक्त पैरा में उल्लेख किया गया है, के अलावा, हितधारकों ने कई नए मुद्दे उठाए थे और एक नई व्यवस्था का सुझाव दिया था। ड्राफ्ट सातवें संशोधन पर परामर्श के दौरान, हितधारकों द्वारा प्रस्तुत सुझावों/टिप्पणियों पर सभी हितधारकों से परामर्श करने की जरूरत महसूस की गई।
4. उपरोक्त के दृष्टिगत, प्राधिकरण ने मौजूदा एमएनपी प्रक्रिया की समीक्षा की और इसमें सुधार करने के साथ इसे दूरसंचार सब्सक्राइबर्स के लिए कुशल और सुगम बनाने के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की थी। तदनुसार, पहचाने गए मुद्दों और एमएनपी प्रक्रिया में प्रस्तावित संशोधन करने के लिए 3 मई, 2018 तक टिप्पणियां और 17 मई, 2018 तक प्रति-टिप्पणियां मांगने के लिए 6 अप्रैल, 2018 को हितधारकों से टिप्पणियां लेने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया गया। इस परामर्श पत्र के उत्तर में तेरह (13) टिप्पणियां और पांच (5) प्रति-टिप्पणियां प्राप्त हुई थी। 11 जून, 2018 को भादूविप्रा के मुख्यालय में एक खुला मंच चर्चा का भी आयोजन किया गया था।
5. खुला मंच चर्चा के दौरान प्रस्तुत हितधारकों की टिप्पणियां, प्रति-टिप्पणियां और विचारों की जांच करने और समुचित विमर्श के बाद, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) के लिए ड्राफ्ट सातवां संशोधन तैयार किया गया और हितधारकों की टिप्पणी के लिए 25 सितंबर, 2018 को इसे भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। प्रारंभ में, ड्राफ्ट संशोधन इस आधार पर तैयार किया गया था कि विनियमों के संशोधन के कार्यान्वयन से पहले केन्द्रीय निगरानी प्रणाली (सीएमएस) के लिए सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां (एलईए) जुड़ जाएंगी और तदनुसार, पोर्टिंग के लिए एक दिन के समय का प्रस्ताव किया गया था। बहरहाल, इस बीच दूरसंचार विभाग ने प्राधिकरण को सूचित किया कि सीएमएस के लिए एलईए के साथ लेने में ज्यादा समय लग सकता है। दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र द्वारा सुझाव दिया

कि अंतरा-लाइसेंस सेवा क्षेत्र (अंतरा-एलएसए) और अंतर-लाइसेंस सेवा क्षेत्र (अंतर-एलएसए) के लिए क्रमश दो दिन और चार दिन की समय-सीमा पर विचार किया जाए। इसे लागू करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए 16 अगस्त, 2018 को भादूविप्रा में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और एमएनपीएसपी के साथ एक बैठक की गई थी।

6. ड्राफ्ट सातवें संशोधन पर नौ हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त हुई थी, जिनका गहराई से विश्लेषण किया गया था। विस्तृत विश्लेषण और समुचित विमर्श के आधार पर दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) के लिए सातवां संशोधन विनियम, 2018 जारी किया जा रहा है।
7. प्रमुख मुद्दों पर स्पष्टीकरण और मूल विनियमों में किए गए संशोधनों का विवरण नीचे दिया गया है:-

विशेष पोर्टिंग कोड के आवंटन और वितरण के लिए क्रियाविधि स्थापित करने का दायित्व

8. ड्राफ्ट संशोधन में यह परिकल्पना की गई थी कि एमएनपीएसपी को विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने और अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट कराने के इच्छुक सब्सक्राइबर को सूचित करने का काम सौंपा जाए। तदनुसार, संशोधन विनियम के विनियम 6क में, विशेष पोर्टिंग कोड आवंटित करने से पहले मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए एक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संशोधन प्रक्रिया में, विशेष पोर्टिंग कोड के अनुरोध एक्सेस प्रदाता द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और ये उसी समय संबंधित एमएनपीएसपी को अग्रप्रेषित किए जाएंगे। एमएनपीएसपी यथा निर्धारित, दाता प्रचालक के डाटाबेस के साथ रीयल टाइम आधार पर अपेक्षित जांचें करने के बाद, विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करेगा और इसे सब्सक्राइबर को भेजेगा।
9. इसके उत्तर में, कुछ हितधारकों ने ड्राफ्ट संशोधन में किए गए प्रावधानों के लिए अपने समर्थन को दोहराया है। इन हितधारकों का मानना है कि विशेष पोर्टिंग कोड के आवंटन और वितरण में प्रस्तावित बदलावों से तेजी से पोर्टेबिलिटी मुहैया कराने में मदद मिलेगी और यह पोर्टिंग अस्वीकरण की समस्या का भी समाधान कर देगा। हितधारकों का यह भी मत था कि तटस्थ और तृतीय पक्ष होने के नाते एमएनपीएसपी विशेष पोर्टिंग कोड की निष्पक्ष और समय पर वितरण सुनिश्चित कर सकता है। एक हितधारक ने मौजूदा प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं करने की मांग के साथ कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाता विशेष पोर्टिंग कोड को सृजन करने से संबंधित एमएनपी विनियमों के प्रावधानों का पालन कर रहे हैं। विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने का काम ऑपरेटर के पास ही रहना चाहिए और सृजन नहीं करने के कारण उत्पन्न स्थिति से मामला-दर-मामला के आधार पर निपटना चाहिए। हितधारक ने यह भी कहा कि एमएनपीएसपी के सिस्टम में तकनीकी खराबियां आने की भी संभावना हो सकती है।
10. ड्राफ्ट संशोधन में, यह दर्शाया गया था कि "विशेष पोर्टिंग कोड मिसमैच" और "समाप्त विशेष पोर्टिंग कोड" के आधार पर पोर्टिंग अनुरोधों के अस्वीकरण की संख्या, अप्रैल, 2017 से मई, 2018 की अवधि के लिए पोर्टिंग अनुरोधों के कुल अस्वीकरण का लगभग 45 प्रतिशत थी। इसके अलावा, 'भुगतान देय' और '90 दिन से कम' की श्रेणियों के तहत औसत अस्वीकरण क्रमश 34.50 प्रतिशत और 12.89 प्रतिशत थे।
11. ड्राफ्ट संशोधन में, प्राधिकरण ने पहले ही उपरोक्त तथ्यों को महत्व दिया है और यह पाया कि जून से सितंबर, 2018 के दौरान भी अस्वीकरण की मुख्य श्रेणियों में इन में कोई सुधार नहीं हुआ है। मौजूदा प्रक्रिया में सब्सक्राइबर को अपना पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत करने के चार से सात दिनों बाद यह सूचना मिलती है कि उसका पोर्टिंग अनुरोध अस्वीकृत हो गया है।
12. प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों और प्रेक्षकों की जांच की है। प्राधिकरण विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने से पहले दाता प्रचालक से पूछताछ के जरिये पोर्टिंग की शर्तों की प्रारंभिक जांच करने के लिए एमएनपीएसपी को अधिकृत करने के लिए सहमत है। तदनुसार, दाता प्रचालक के नेटवर्क पर सब्सक्राइबर द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने के अनुरोध के

संबंध में शॉर्ट कोड 1900 संबंधित एमएनपीएसपी को अग्रेषित किया जाएगा जो संशोधन विनियमों के विनियम 6क में निर्धारित शर्तों की जांच करके मोबाइल सब्सक्राइबर को विशेष पोर्टिंग कोड आवंटित और वितरित करेगा।

एमएनपीएसपी द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड सृजन और वितरण करने की संशोधित क्रियाविधि कार्यान्वित करना

13. एमएनपीएसपी द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड सृजन और वितरण करने की संशोधित क्रियाविधि के कार्यान्वयन के मुद्दे पर कुछ हितधारकों ने यह चिंता जाहिर की है कि इसके लिए बदलावों को समाहित करने के लिए एमएनपीएसपी की ओर से मौजूदा सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त, मौजूदा अवसंरचना के साथ एमएनपीएसपी के लिए रीयल टाइम के आधार पर अधिक संख्या में ट्रांजेक्शन को संभालना मुश्किल होगा और परिणामस्वरूप, लागतों में वृद्धि होगी। कुछ हितधारकों ने कहा कि प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता प्रचालक और दाता प्रचालक के डाटाबेस में उपलब्ध सब्सक्राइबर की सूचना को एमएनपीएसपी के साथ साझा करना शामिल है, जिससे न केवल दूरसंचार सेवा प्रदाता के डाटाबेस की सुरक्षा को खतरा बढ़ेगा बल्कि यह गोपनीयता की उन शर्तों का भी उल्लंघन होगा, जिनके तहत सब्सक्राइबरों से सूचना एकत्रित की जाती है। इसके फलस्वरूप एमएनपीएसपी द्वारा अपने व्यवसायिक लाभ के लिए सूचना का दुरुपयोग भी किया जा सकता है।
14. एक और हितधारक ने कहा कि एमएनपीएसपी के लिए मौजूदा लाइसेंस शर्तों में एमएनपीएसपी की भूमिका को शामिल नहीं किया गया है जैसा कि प्रस्तावित प्रक्रिया में किया गया है। कुछ हितधारकों ने कहा है कि एमएनपीएसपी की जवाबदेही बढ़ाने के लिए, एमएनपीएसपी की भूमिका और जिम्मेदारियों को एमएनपी विनियमों और लाइसेंस की शर्तों में स्पष्टता से परिभाषित किया जाना चाहिए।
15. एक हितधारक का यह मत था कि एमएनपीएसपी लाइसेंस नवीकरण के लिए मार्च 2019 में आएंगे इसलिए दूरसंचार विभाग, भादूविप्रा और एमएनपीएसपी को इन शर्तों पर बात करनी चाहिए और एमएनपीएसपी की विस्तारित जिम्मेदारियों की सूची पर सहमत होना चाहिए तथा विस्तारित भूमिका को पूरा करने के लिए निष्पक्ष और पर्याप्त क्षतिपूर्ति पर भी सहमत होना चाहिए।
16. प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों की जांच के पश्चात् यह मत बनाया है कि संशोधित प्रक्रिया को कार्यान्वित करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए; और इसे दूरसंचार सेवा प्रदाता एवं एमएनपीएसपी की ओर से हार्डवेयर और/या सॉफ्टवेयर में इष्टतम बदलाव के साथ कार्यान्वित किया जा सकता है। यहां पर यह उल्लेख करना समीचीन है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता और एमएनपीएसपी के सिस्टम में पूरे एमएनपी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मौजूदा गेटवे लिंक के जरिये पहले से कनेक्टिविटी है। सब्सक्राइबरों, ऑपरेटरों और एमएनपीएसपी पर विशेष पोर्टिंग कोड वितरण की संशोधित प्रक्रिया के प्रभाव का न्यूनीकरण करने के लिए एमएनपीएसपी और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच के मौजूदा गेटवे का उपयोग दाता प्रचालक द्वारा सब्सक्राइबरों से प्राप्त विशेष पोर्टिंग कोड अनुरोधों को एसएमएस, जैसा कि मौजूदा प्रक्रिया में है, के जरिये भेजने के लिए किया जा सकता है। दाता प्रचालक द्वारा अपने सब्सक्राइबरों से प्राप्त विशेष पोर्टिंग कोड अनुरोधों को अगली कार्यवाही के लिए तुरंत संबंधित एमएनपीएसपी को अग्रेषित किया जाएगा। मौजूदा अवसंरचना/गेटवे का इस्तेमाल संशोधित प्रक्रिया को कार्यान्वित करने में लाभप्रद तरीके से किया जा सकता है।
17. लाइसेंस के नियम एवं शर्तों के कारण उत्पन्न चुनौतियों के संबंध में प्राधिकरण एमएनपीएसपी की लाइसेंस की शर्तों में उचित संशोधन करके, यदि उचित समझा गया तो, संशोधित परिदृश्य में एमएनपीएसपी की भूमिका को शामिल करने के लिए इस मामले पर दूरसंचार विभाग से अलग से कार्यवाही करेगा।

- शर्तों की वैधता और विशेष पोर्टिंग कोड को सृजन/वितरण करने के लिए संशोधित प्रक्रिया
18. ड्राफ्ट संशोधन के जरिये विनियम 6क के उपविनियम (3) के तहत खंड (क) से (ज) में दी गई शर्तों के बारे में जांच के लिए दाता प्रचालक के डाटाबेस तक रीयल टाइम आधार पर पहुंचने में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता (एमएनपीएसपी) को समर्थ बनाने के लिए एक क्वेरी रिस्पॉन्स सिस्टम स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
 19. विनियम 6क के उपविनियम (3) के तहत सूचीबद्ध पूछताछ के संबंध में, एक हितधारक ने सुझाव दिया है कि वह ऐसी पूछताछ के उत्तर “हां” या “नहीं” के रूप में प्रदान करेगा, और प्रक्रिया में किसी भी डाटा का आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा। हितधारक ने यह भी कहा है कि यदि सब्सक्राइबर “प्रीपेड” या “पोस्टपेड” है तो जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पोर्टिंग प्रक्रिया में इसका कोई औचित्य नहीं है।
 20. हितधारक ने पोर्टिंग प्रक्रिया के सुगम परिचालन, फर्जी पोर्टिंग की रोकथाम करने, सब्सक्राइबर्स की शिकायतों का समाधान करने के लिए एमएनपीएसपी की जवाबदेही बढ़ाने की बात कही है। हितधारक ने कुछ कार्यों के सुझाव दिए हैं जैसे कि सभी ऑपरेटर्स को रीयल टाइम रिपोर्ट और सूचना उपलब्ध कराना, पोर्टिंग अनुरोध के चरणों को पूरा करने के बारे में सब्सक्राइबर्स को सूचना देना, अनुरोध की स्थिति बताना (यह स्वीकृत या अस्वीकृत हो गई है), सब्सक्राइबर्स की एमएनपी संबंधी शिकायतों का समाधान करना और प्राप्तकर्ता प्रचालक/दाता प्रचालक एवं एमएनपीएसपी के बीच सहमति योग्य सर्विस लेवल एग्रीमेंट आदि। हितधारक ने एमएनपीएसपी की ओर से किसी चूक के मामले में उचित जुर्माना लगाने का भी सुझाव दिया है।
 21. एक हितधारक ने अंतिम विनियमों के साथ एपीआई विशिष्टियां जारी करने का अनुरोध किया है ताकि वो काम शुरू करने में समर्थ हो सके। एक अन्य हितधारक ने कहा कि यह अनुमान है कि दाता प्रचालक के डाटाबेस में सब्सक्राइबर की सूचना के बारे में पूछताछ उसी यूआरएल में एसओएपी संदेशों का इस्तेमाल करके की जाएगी जो आज सभी एक्सेस प्रदाताओं के लिए उपलब्ध है। इससे एमएनपीएसपी और एक्सेस प्रदाता की ओर से कम से कॉन्फिगरेशन/हार्डवेयर बदलाव के साथ दाता प्रचालक से वांछित सूचना लेने में मदद मिलेगी।
 22. एक हितधारक ने क्वेरी रिस्पॉन्स सिस्टम का विरोध करते हुए कहा है कि इससे न केवल दूरसंचार सेवा प्रदाता के डाटाबेस की सुरक्षा को खतरा बढ़ेगा बल्कि यह गोपनीयता की उन शर्तों का भी उल्लंघन होगा, जिनके तहत सब्सक्राइबर्स से सूचना एकत्रित की जाती है। हितधारक ने यह भी कहा कि सब्सक्राइबर की पूर्ण सूचना को एमएनपीएसपी को एक्सेस देने से एमएनपीएसपी द्वारा अपने व्यवसायिक लाभ के लिए सूचना का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए सुझाव दिया कि एमएनपी अनुरोध को स्वीकार/अस्वीकार करने के कारणों की जांच ऑपरेटर्स द्वारा ही की जानी चाहिए और विनियमों के गैर-अनुपालन के संबंध में कोई असामान्यता से मामला-दर-मामला के आधार पर निपटना चाहिए।
 23. सब्सक्राइबर की सूचना की गोपनीयता और एमएनपीएसपी द्वारा अपने व्यवसायिक लाभ के लिए इसके संभावित दुरुपयोग के संबंध में हितधारक की टिप्पणी की जांच की गई है। इस संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि एमएनपीएसपी को टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 4 के तहत लाइसेंस द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है। गोपनीयता खंडों के अनुपालन हेतु इन संस्थाओं को जारी किए गए लाइसेंस के तहत पर्याप्त प्रावधान हैं।
 24. “हां” या “नहीं” के रूप में पूछताछ के उत्तरों को साझा करने के एक हितधारक के सुझाव पर सहमति हो सकती है और कोई अन्य सूचना जैसे कि वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना एमएनपीएसपी के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 25. कनेक्शन अर्थात् प्रीपेड या पोस्टपेड की स्थिति जानने का मकसद प्रीपेड कनेक्शन के मामले में देय बकायों के लिए पूछताछ को हटाना था। प्राधिकरण ने हितधारकों के सुझावों पर गौर किया और उनका यह मानना है कि प्रीपेड या पोस्टपेड की स्थिति से संबंधित पूछताछ को हटाया जा सकता है और सभी मामलों अर्थात् प्रीपेड और पोस्टपेड में “देय बकायों” के लिए एमएनपीएसपी द्वारा दूसरी पूछताछ बनाई जा सकती है। सभी प्रीपेड कनेक्शनों और उन पोस्टपेड

कनेक्शनों, जिनमें विशेष पोर्टिंग कोड के अनुरोध की तारीख से पहले कोई देय बकाया नहीं है, के मामले में उत्तर “नहीं” होगा। उन पोस्टपेड कनेक्शनों के लिए उत्तर “हां” होगा, जिनमें लंबित बिल या बिलों, जैसा भी मामला हो, के रूप में सब्सक्राइबर से भुगतान बकाया है, जो सामान्य बिलिंग चक्र के अनुसार मगर विशेष पोर्टिंग कोड अनुरोध की तारीख से पहले जारी किए गए हैं। उपरोक्त के अनुसार, एमएनपीएसपी को शर्त (क) से (छ) के लिए पूछताछ करनी होगी जैसा कि विनियम 6क के उपविनियम (3) में परिभाषित किया गया है।

- संशोधित परिदृश्य में एमएनपीएसपी और दूरसंचार सेवा प्रदाता की भूमिका की निगरानी करने के लिए प्रणाली
26. संशोधित प्रक्रिया में एमएनपीएसपी की जिम्मेदारी और भूमिका के मुद्दे पर कुछ हितधारकों ने कहा है कि उस प्रत्येक कार्य के लिए विस्तृत सेवा स्तर समझौते के लिए प्रावधान होना चाहिए जो एमएनपीएसपी द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा। कुछ हितधारकों ने निगरानी के लिए नियमित रिपोर्टिंग प्रणाली की मांग की है जबकि दूसरे हितधारक ने सुझाव दिया है कि भादूविप्रा द्वारा आवधिक निरीक्षण, निगरानी और जांच की जाए।
 27. बदले हुए परिदृश्य में एमएनपीएसपी और दूरसंचार सेवा प्रदाता की जवाबदेही एक महत्वपूर्ण पहलु है। सौंपे गए कार्य के लिए मापयोग्य मानदण्डों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। तदनुसार, प्राधिकरण का यह मत है कि मौजूदा रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अलावा, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता मोबाइल सब्सक्राइबरों से विशेष पोर्टिंग कोड से प्राप्त विशेष पोर्टिंग कोड के अनुरोधों की संख्या, सफलतापूर्वक आवंटित विशेष पोर्टिंग कोड की संख्या के संबंध में आंकड़े/रिपोर्ट के विशिष्ट सेट या समय-समय पर यथा अपेक्षित अन्य रिपोर्ट सृजन करेगा।
 28. विशेष पोर्टिंग कोड के आवंटन और वितरण में एमएनपीएसपी के प्रभाव और भूमिका की निगरानी करने के संबंध में कुछ हितधारकों का मत है कि संशोधित प्रक्रिया में एमएनपीएसपी द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर लागू सेवा गुणवत्ता के उचित मानदण्ड निर्धारित किए जाएं। विशेष पोर्टिंग कोड के आवंटन और वितरण और पोर्टिंग प्रक्रिया के सुगम परिचालन के लिए एमएनपीएसपी और दूरसंचार सेवा प्रदाता की जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियत मानदण्ड जैसे, प्राप्त विशेष पोर्टिंग कोड अनुरोधों की संख्या, सृजन किए गए विशेष पोर्टिंग कोडों की संख्या और तकनीकी विफलता के मामले या एमएनपीएसपी द्वारा की गई पूछताछ के उत्तर देने में असमर्थता को ध्यान में रखकर मानदण्ड निर्धारित किए जा सकते हैं।
 29. प्राधिकरण को सेवा गुणवत्ता के मानदण्डों के रूप में विशेष पोर्टिंग कोड आवंटन और वितरण की प्रक्रिया को शामिल करने के संबंध में हितधारकों के सुझाव उचित लगे हैं। प्राधिकरण इस बात से भी अवगत है कि एमएनपीएसपी द्वारा की गई पूछताछ के उत्तर के प्रसार में दाता प्रचालक की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, संशोधित परिदृश्य में एमएनपीएसपी और प्राप्तकर्ता प्रचालक की भूमिका को बढ़ाया गया है और इसलिए इन्हें मापयोग्य सेवा गुणवत्ता मानदण्डों का भाग भी बनाया जा सकता है। ये सेवा गुणवत्ता के मानदण्ड, प्राधिकरण द्वारा अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।

- विशेष पोर्टिंग कोड की वैधता
30. ड्राफ्ट संशोधन में, विशेष पोर्टिंग कोड की वैधता, जम्मू एवं कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर को छोड़कर, जहां अगले निर्णय तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अन्य सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के लिए चार दिन करने का प्रस्ताव किया गया था।
 31. कुछ हितधारकों ने कहा है कि विशेष पोर्टिंग कोड की वैधता को 15 से घटाकर 4 दिन करने का प्रस्ताव किया गया है। इन हितधारकों ने सुझाव दिया है कि विशेष पोर्टिंग कोड समाप्ति अवधि को 4 दिन से बढ़ाकर 7 दिन किया जाए क्योंकि वर्तमान सब्सक्राइबर सत्यापन और प्राप्त करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।
 32. विशेष पोर्टिंग कोड की वैधता को मौजूदा 15 दिनों से घटाकर 4 दिन करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि एमएनपीएसपी के लिए सुगम्य डाटाबेस के कुछ नियत कारणों जैसे भुगतान बकाये, कानूनी पहलु आदि परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और कुछ इनमें कुछ दिनों के भीतर बदलाव हो सकता है। सब्सक्राइबर सत्यापन और प्राप्त करने की प्रक्रिया के पहलुओं पर दूरसंचार सेवा प्रदाता नए कनेक्शनों के लिए वैकल्पिक डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया का परीक्षण कर रहे हैं।

दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा परीक्षण और पायलट पूरा किए जाने के बाद, यह आशा है कि वैकल्पिक डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया शुरू की जाएगी और यह अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त रूप से कुशल होगी। इसलिए विशेष पोर्टिंग कोड की कम अवधि उचित है। इसके अतिरिक्त, समाप्त होने के पश्चात सब्सक्राइबर द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड फिर से सृजन की जा सकती है; तदनुसार, प्राधिकरण का यह मत है कि विशेष पोर्टिंग कोड की वैधता वर्तमान 15 दिनों के स्थान पर 4 दिन की होगी।

33. ड्राफ्ट विनियम में सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के लिए विशेष पोर्टिंग कोड की वैधता को घटाकर चार दिन किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर के उन लाइसेंस सेवा क्षेत्रों को इस दायरे से बाहर रखा गया है जहां अगले निर्णय तक मौजूदा प्रावधान लागू रहेंगे। असम के लाइसेंस सेवा क्षेत्र को भी शामिल माना जाएगा क्योंकि इसका नाम अपवाद वाले लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों की सूची में गलती से छूट गया था। यह मुद्दा एक हितधारक ने अपनी टिप्पणी में उठाया था और इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग की थी। इसलिए जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम के लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के लिए मौजूदा प्रावधानों को छोड़कर अन्य सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के लिए विशेष पोर्टिंग कोड की वैधता 4 दिन होगी। संशोधित प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता प्रचालक से अनुरोध प्राप्त करने के समय एमएनपीएसपी द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड प्रमाणित की जाएगी इसलिए 4 दिन की वैधता पर्याप्त है।

पोर्टिंग की समय-सीमाएं

34. ड्राफ्ट विनियम में कार्पोरेट श्रेणी के तहत किए गए अनुरोध को छोड़कर अंतरा-लाइसेंस सेवा क्षेत्र (अंतरा-एलएसए) के पोर्टिंग अनुरोधों के लिए 2 कार्यदिवसों की समय-सीमा का प्रावधान किया गया है। अंतर-लाइसेंस सेवा क्षेत्र (अंतर-एलएसए) और कार्पोरेट श्रेणी के नंबरों के सभी पोर्टिंग अनुरोधों के लिए 4 कार्यदिवसों की समय-सीमा का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त प्रावधान एमएनपी समय-सीमा प्रक्रिया की समीक्षा को केन्द्रीय निगरानी प्रणाली (सीएमएस) के कार्यान्वयन से असंबद्ध करने के लिए दूरसंचार विभाग से प्राप्त सुझाव के आधार पर किए गए हैं क्योंकि सभी एलईए को सीएमएस प्लेटफॉर्म से जुड़ने में कुछ समय लग सकता है। दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा को मौजूदा प्रावधान की समीक्षा करने और केवल अंतरा-एलएसए एमएनपी अनुरोधों के मामले में दाता प्रचालक द्वारा स्वीकृति हेतु 4 कार्यदिवसों की समय-सीमा को 2 कार्यदिवस करने का सुझाव दिया है, जबकि अंतर-एलएसए एमएनपी अनुरोधों के मामले में दाता प्रचालक द्वारा 4 कार्यदिवसों की मौजूदा समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
35. अंतरा-एलएसए और अंतर-एलएसए के लिए अलग-अलग समय-सीमा के लाभों के बारे में ड्राफ्ट विनियम में अच्छे से स्पष्ट किया गया है और इन्हें दोहराया गया है। अंतरा और अंतर-एलएसए पोर्टिंग अनुरोधों की अलग-अलग समय-सीमा को कार्यान्वित करने के संभावित कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए अप्रैल, 2017 से जून, 2018 की अवधि के दौरान एमएनपीएसपी से एकत्रित डाटा से पता चलता है कि अंतरा पोर्टिंग अनुरोध कुल एमएनपी अनुरोधों के लगभग 93 प्रतिशत के बराबर हैं। अंतरा-एलएसए पोर्टिंग अनुरोधों के लिए दो दिन की समय-सीमा के कार्यान्वयन पर दूरसंचार सेवा प्रदाता/एमएनपीएसपी की राय मांगने के लिए 16 अगस्त, 2018 को भादूविप्रा में एक बैठक आयोजित की गई थी।
36. उपरोक्त मुद्दे पर कुछ हितधारक पोर्टिंग के समय में कमी के लिए प्रस्तावित बदलाव से सहमत थे। एक हितधारक ने कहा कि अंतरा के लिए दो दिन और अंतर-एलएसए एमएनपी के लिए 4 दिन की प्रस्तावित समय-सीमा अभी भी उपेक्षित है और रीयल टाइम नंबर पोर्टिंग का लक्ष्य हासिल होने तक पोर्टिंग प्रक्रिया की समय-सीमा में और कमी करने के लिए इसकी नियमित आधार पर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।
37. कुछ हितधारकों का यह मानना था कि एमएनपी प्रक्रिया में प्रस्तावित कमी तभी संभव हो सकती थी जब दूरसंचार विभाग से सब्सक्राइबर प्राप्ति हेतु ईकेवाईसी प्रक्रिया को हटाने का आदेश प्राप्त नहीं होता। यदि पेपर सीएएफ के जरिये पहले की सब्सक्राइबर प्राप्ति प्रक्रिया दूरसंचार सेवा प्रदाता पर लगाई जाती तो इससे न केवल सेवा को एकटीवेट करने में लगने

वाला समय बढ़ता बल्कि प्राप्तकर्ता प्रचालक की ओर से कई कार्य अपेक्षित होंगे जिसमें 4 दिन से अधिक समय लगता है और इस बीच विशेष पोर्टिंग कोड समाप्त हो जाएगी। इन हितधारकों ने यह भी सुझाव दिया कि अंतर-एलएसए पोर्टिंग (अंतरा-ऑपरेटर पोर्टिंग के मामले में), समय-सीमा को घटाकर दो दिन किया जा सकता है क्योंकि पोर्टिंग एक ऑपरेटर के भीतर होनी है और ऐसे मामलों में दाता और प्राप्तकर्ता प्रचालक व्यावहारिक रूप से एक ही हैं।

38. संशोधित एमएनपी प्रक्रिया¹ में, पोर्टिंग के लिए कुल समय, कार्पोरेट मोबाइल नंबरों और अंतर-एलएसए पोर्टिंग को छोड़कर सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कम हो जाएगा। दाता प्रचालक के डाटाबेस से जांच करके मोबाइल नंबरों के लिए एमएनपीएसपी द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड सृजन की जाएगी, इसलिए गैर-कार्पोरेट नंबरों के लिए मोबाइल नंबर की पोर्टिंग के चरण में दाता प्रचालक से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। सत्यापन और कागजी कार्य पूरा करने के लिए कुछ हितधारकों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त समय-सीमा का मुद्दा प्रासंगिक नहीं है क्योंकि पोर्टिंग का अनुरोध सभी 'अपने ग्राहक को जानें' संबंधी कार्यों को पूरा करने के बाद प्रस्तुत किया जाता है। एमएनपीएसपी केवल कार्पोरेट मोबाइल नंबरों के पोर्टिंग अनुरोधों के प्राधिकार पत्र की जांच करने के लिए दाता प्रचालक को अग्रप्रेषित करेगा।
39. प्राधिकरण द्वारा ड्राफ्ट विनियम में यह पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि सभी एलईए के सीएमएस से जुड़ने के बाद समय-सीमा की समीक्षा की जाएगी। अंतरा-ऑपरेटर (अंतर-एलएसए) पोर्टिंग के मामले में समय-सीमा कम करने के प्रस्ताव पर प्राधिकरण का यह मत है कि एलईए के बदलाव के कारण राज्यों के नोडल अधिकारियों द्वारा अपेक्षित स्वीकृति को दो कार्यदिवसों में जारी करना मुश्किल होगा इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता। तदनुसार, केवल अंतरा-एलएसए के पोर्टिंग अनुरोधों के लिए 2 कार्यदिवसों की पोर्टिंग समय-सीमा का प्रावधान किया गया है। अंतर-एलएसए और कार्पोरेट श्रेणी के नंबरों के पोर्टिंग हेतु चार दिन की समय-सीमा का प्रावधान जारी रहेगा।

पोर्टिंग अनुरोध वापस लेना

40. ड्राफ्ट संशोधन में, पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत करने के 24 घंटे के भीतर सब्सक्राइबर द्वारा एसएमएस द्वारा पोर्टिंग अनुरोध वापस लेने का प्रावधान किया गया है। इस मुद्दे पर कुछ हितधारकों की यह राय है कि आमतौर पर सब्सक्राइबर पूछताछ या अपनी सेवाओं की निरंतरता के बारे में पूछने के लिए अपने वर्तमान ऑपरेटर (दाता प्रचालक) से संपर्क करता है इसलिए प्राप्तकर्ता प्रचालक से पोर्टिंग अनुरोध प्राप्त करने के समय (तारीख और समय के साथ) की जानकारी एमएनपीएसपी द्वारा सब्सक्राइबर को दी जानी चाहिए ताकि सब्सक्राइबर इच्छुक होने पर पोर्टिंग अनुरोध को वापस लेने की सुविधा का लाभ उठा सके। हितधारकों ने यह भी सुझाव दिया कि यदि सब्सक्राइबर 24 घंटे की निर्धारित समय-सीमा के बाद वापसी का अनुरोध प्रस्तुत करता है तो ऐसे मामले में एमएनपीएसपी को आवेदन पर कार्यवाही शुरू करने से पहले सब्सक्राइबर के साथ-साथ दाता प्रचालक को भी एसएमएस द्वारा सूचित करना चाहिए।
41. कुछ हितधारकों ने यह भी सुझाव दिया कि सब्सक्राइबर द्वारा वापस लेने का अनुरोध करने के बाद विशेष पोर्टिंग कोड के दुरुपयोग को रोकने के लिए सब्सक्राइबर द्वारा प्राप्त किया हुआ विशेष पोर्टिंग कोड अमान्य हो जाए ताकि इसी विशेष पोर्टिंग कोड के प्रयोग से और पोर्टिंग अनुरोध न किए जा सकें। कुछ हितधारकों ने प्रस्ताव दिया कि पोर्ट वापस लेने की समय-सीमा को 24 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया जाए। वापस लेने की समय-सीमा को एमएनपीएसपी द्वारा 'पोर्ट घोषणा तारीख' तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सब्सक्राइबर के लिए रद्दकरण अनुरोध भेजने के लिए समय का कोई बंधन न हो।

1 यह उम्मीद है कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्थापित केन्द्रीय निगरानी प्रणाली निकट भविष्य में पूर्णतया चालू हो जाएगी और सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियां केन्द्रीकृत प्रणाली का उपयोग कर पाएंगी। बहरहाल, दूरसंचार विभाग के सुझाव के अनुसार, अंतरा और अंतर-एलएसए पोर्टिंग की समयसीमा सीएमएस के पूर्ण कार्यान्वयन होने तक अलग-अलग रखी जाएगी।

42. प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों की जांच की है। सब्सक्राइबर और दाता प्रचालक को सूचना मुहैया कराने के संबंध में, यह प्रावधान किया गया है कि प्राप्तकर्ता प्रचालक से पोर्टिंग का अनुरोध मिलने पर एमएनपीएसपी पोर्टिंग की निर्धारित तारीख और समय की सूचना देने के लिए सब्सक्राइबर को एक एसएमएस भेजेगा। इस संदेश में सब्सक्राइबर को पोर्टिंग अनुरोध वापस लेने की 24 घंटे की समय-सीमा दी जाएगी। यदि वापस लेने का अनुरोध निष्पादित किया जाता है तो विशेष पोर्टिंग कोड अमान्य हो जाएगा। यदि वापस लेने का अनुरोध निर्धारित 24 घंटे की समय-सीमा के बाद प्राप्त होता है तो एमएनपीएसपी सब्सक्राइबर को एसएमएस द्वारा सूचित करेगा कि पोर्ट वापस लेने की समय-सीमा समाप्त हो गई है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एकटीवेशन और डि-एकटीवेशन की तय तारीख और समय के साथ कार्यवाही की जाएगी। एमएनपीएसपी इसकी सूचना संचार के आंतरिक माध्यम के जरिये संबंधित दाता प्रचालक और प्राप्तकर्ता प्रचालक को भी देगा।

कार्पोरेट मोबाइल नंबर की पोर्टिंग

43. कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया है कि एमएनपीएसपी द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने से पहले बकाया भुगतान वाले कार्पोरेट कनेक्शन जांच किए जाने पर पोर्टिंग के वर्तमान 4 कार्यदिवसों से अतिरिक्त 4 दिन (विशेष पोर्टिंग कोड वैधता अवधि तक) बकाया भुगतान में वृद्धि होने की संभावना है। उन कार्पोरेट कनेक्शन के संदर्भ में, जिनके बिल सृजन करने की तारीख विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने और वास्तविक पोर्टिंग तारीख के बीच आती है, से अतिरिक्त जोखिम बढ़ेगा। हितधारक ने यह भी कहा कि कंपनी-ओन्ड-कंपनी-पेड नंबरों के मामले में बकाया भुगतान जोखिम एक व्यक्तिगत कनेक्शन की तुलना में काफी अधिक है। इसलिए दाता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग अनुरोध प्राप्त होने पर बकाया भुगतान की अतिरिक्त जांच की जानी चाहिए।
44. हितधारकों ने यह भी सुझाव दिया कि एमएनपीएसपी को ऐसे पोर्टिंग अनुरोधों को निरस्त करना चाहिए जिनमें विशेष पोर्टिंग कोड प्रीफिक्स 'सी' के साथ सृजन की जाती है मगर प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा प्राधिकार पत्र संलग्न नहीं किया जाता है और ऐसे भी मामले में, जिनमें विशेष पोर्टिंग कोड प्रीफिक्स 'सी' के साथ नहीं है मगर प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा प्राधिकार पत्र संलग्न किया गया है।
45. एक और हितधारक ने एकल विशेष पोर्टिंग कोड के तहत कार्पोरेट पोर्टिंग को अनुमति देने का अनुरोध किया है। हितधारक ने सुझाव दिया है कि यदि एकल विशेष पोर्टिंग कोड के तहत कार्पोरेट पोर्टिंग की अनुमति नहीं दी जाती है तो कम-से-कम एक प्राधिकार पत्र के तहत केवल 50 नंबरों की सीमा को हटाया जाए।
46. दाता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग अनुरोध प्राप्त होने पर बकाया भुगतान की जांच करने के संबंध में हितधारक के अनुरोध के बारे में प्राधिकरण का यह मत है कि इससे पोर्टिंग प्रक्रिया के लिए जटिलताएं पैदा होंगी। बकायों की वसूली के प्रावधान और पोर्ट किए गए सब्सक्राइबर द्वारा बकाए प्राप्त नहीं होने पर संबंधित प्राप्तकर्ता प्रचालक से गैर-भुगतान डिस्कनेक्शन अनुरोध प्रस्तुत करने का प्रावधान विनियमों में पहले से ही है।
47. प्राधिकरण इस पर सहमत है कि प्राधिकार पत्र के बिना प्राप्त कार्पोरेट पोर्टिंग अनुरोधों या विपरीतया: पर एमएनपीएसपी द्वारा कार्यवाही नहीं की जाएगी।
48. एकल विशेष पोर्टिंग कोड में सभी कार्पोरेट नंबरों की पोर्टिंग की अनुमति देने, जैसा कि एक हितधारक ने सुझाव दिया है, में काफी जटिलताएं हैं। इस मुद्दे पर 2013 में जारी पांचवे संशोधन अधिनियम के परामर्श के दौरान पूरी जांच की गई थी। कार्पोरेट पोर्टिंग के लिए एकल प्राधिकार पत्र में 50 मोबाइल नंबरों की मौजूदा सीमा के संबंध में प्राधिकरण ने इस सीमा को बढ़ाकर प्रति प्राधिकार पत्र 100 मोबाइल नंबर करने पर सहमति दी है।

पोस्टपेड सब्सक्राइबरों के मामले में लंबित बकायों का भुगतान

49. कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया है कि विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने के तुरंत बाद या पोर्ट वैलीडेशन तारीख पर तत्काल बिल सृजन करके बिल्ड और अन-बिल्ड प्रभारों का भुगतान करने के लिए सब्सक्राइबरों को सूचित किया जा सकता है ताकि पोर्ट आउट से पहले सब्सक्राइबर द्वारा बकायों का भुगतान किया जा सके। हितधारकों ने सुझाव दिया कि बदलते व्यवसायिक परिदृश्य और प्रौद्योगिकीय प्रगति को देखते हुए तत्काल बिलिंग को अनुमति देकर दाता प्रचालक को पोर्टिंग से पहले सब्सक्राइबरों से सभी अदत्त बकायों को लेने की अनुमति दी जा सकती है और गैर-भुगतान डिस्कनेक्शन की प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है।
50. प्राधिकरण ने उपरोक्त प्रस्ताव की खूबियों और कमियों का विश्लेषण किया है और उनका यह मानना है कि पोर्टिंग से पहले अनबिल्ड उपयोग के लिए तत्काल बिल सृजन करने की अनुमति देने से सब्सक्राइबरों को सुविधा के बजाय परेशानी बढ़ जाएगी। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, पोर्टिंग के समय इस तरह के अनबिल्ड बकायों की वसूली दाता प्रचालक द्वारा मोबाइल नंबर को पोर्ट करने के बाद भी की जा सकती है। बकायों के गैर-भुगतान के परिणाम के रूप में सब्सक्राइबर गैर-भुगतान डिस्कनेक्शन प्रक्रिया के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर को गंवा सकता है।
51. उपरोक्त के दृष्टिगत, पोर्ट करा चुके सब्सक्राइबरों से लंबित बकायों को जल्दी वसूल करने के लिए प्राधिकरण ने वैकल्पिक रूप से दाता प्रचालक को उसके नेटवर्क से नंबर को पोर्ट करने के तुरंत बाद बकाया बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। इसलिए पोर्टिंग होने के पश्चात, बिना सामान्य बिलिंग चक्र का इंतजार किए, मोबाइल नंबर पोर्ट करने की तारीख तक, अनबिल्ड राशि का बिल जारी किए जाने पर दाता प्रचालक को सब्सक्राइबर को याद दिलाने तथा बकाया वसूल करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध रहेगा।

एमएनपी विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन

52. पोर्टिंग अनुरोधों को गलत तरीके से अस्वीकरण को हतोत्साहित करने और विभिन्न कार्यों को करने लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन कराने के लिए दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम (चौथा संशोधन विनियम, 2012) के माध्यम से वित्तीय अनुत्साहन के प्रावधान किए गए हैं। प्राधिकरण का यह मत है कि संशोधित विनियमों में एमएनपीएसपी के बढ़े हुए कार्यों और विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने की रूपरेखा में बदलाव के कारण दाता प्रचालक और एमएनपीएसपी की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। संशोधित प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण है कि दाता प्रचालक द्वारा गलत अस्वीकरण और विनियम 6क के तहत निर्धारित प्रक्रिया के लिए एमएनपीएसपी द्वारा की गई क्वेरी के लिए झूठी/गलत सूचना देने को हतोत्साहित किया जाएगा। इसलिए मोबाइल सब्सक्राइबरों के हितों की रक्षा करने के लिए विनियमों के इस तरह के उल्लंघनों की जांच की जाएगी और यदि जरूरी हुआ तो वित्तीय अनुत्साहन लगाए जाएंगे।
53. विनियम 12 के तहत मौजूदा प्रावधान के अनुसार, दाता प्रचालक द्वारा अस्वीकरण के नमूने के विश्लेषण में ये देखा गया कि अवैध आधारों पर अस्वीकृत किए गए मामलों की संख्या काफी अधिक है। इस तरह के अस्वीकरण से दूरसंचार सब्सक्राइबरों को भारी असुविधा हुई है। पिछले अनुभव को ध्यान में रखकर, प्राधिकरण का यह मत है कि यदि कोई एक्सेस प्रदाता (दाता प्रचालक के रूप में काम कर रहा) विनियम 6क और 12 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके लाइसेंस के नियम एवं शर्तों या अधिनियम के प्रावधानों, नियमों या विनियमों या दिए गए आदेशों या जारी निदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे पोर्टिंग के लिए अनुरोध के प्रत्येक गलत अस्वीकरण या झूठी/गलत सूचना देने के प्रत्येक मामले के लिए एक वित्तीय अनुत्साहन के रूप में एक राशि जो दस हजार रुपये से अनधिक नहीं होगी, या जैसा भी प्राधिकरण निदेश दे, का भुगतान करना होगा।

54. प्रस्तावित वित्तीय अनुत्साहन के मुद्दे पर एक हितधारक ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण को जानबूझ कर किए गए उल्लंघन और सिस्टम की खराबी के कारण तकनीकी त्रुटि को अलग-अलग करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिस्टम की खराबी के परिणामस्वरूप होने वाली त्रुटि के लिए दाता प्रचालक पर दंड न लगाया जाए।
55. एक हितधारक ने उल्लेख किया कि प्राधिकरण ने एमएनपीएसपी पर लागू जुर्माने का प्रस्ताव किया है जो अनुचित रूप से कठोर और दंडात्मक हैं। हितधारक ने जुर्माने के औचित्य का प्रस्ताव करते हुए कहा है कि प्रतिशत आधारित सेवा स्तर समझौता (एसएलए) बताया जाए ताकि जुर्माना तभी आकलित हो जब रिपोर्टिंग अवधि में विशेष पोर्टिंग कोड अनुरोध के नियत प्रतिशत से अधिक समय पर सृजन नहीं होते हैं। इसे प्राधिकरण के लिए मासिक मानक रिपोर्ट का भाग बनाया जा सकता है और यथा समय जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना उदार होना चाहिए और इसका आकलन अधिक महत्वपूर्ण हो यदि क्रमागत महीनों में मामलों का दोहराव हो। इसके अतिरिक्त, एसएलए को प्रश्नागत पक्ष के लिए विशिष्ट बनाने के लिए इसे परिभाषित करते समय सावधानी बरती जानी चाहिए।
56. प्राधिकरण इस सुझाव पर सहमत है कि एमएनपीएसपी और दूरसंचार सेवा प्रदाता, दोनों पर लागू सेवा गुणवत्ता प्रणाली के जरिये तकनीकी त्रुटि के मुद्दों/घटनाओं की निगरानी की जा सकती है। प्राधिकरण एमएनपीएसपी और एक्सेस प्रदाताओं द्वारा पालन किए जाने हेतु उचित सेवा गुणवत्ता मानदंड अलग से जारी करेगा। एमएनपी की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए मानदंड या एसएलए मानदण्ड बनाए जा सकते हैं और एमएनपीएसपी और एक्सेस प्रदाताओं की ओर से उल्लंघन एवं विचलन के लिए वित्तीय अनुत्साहन लगाए जाएंगे। प्राधिकरण ऐसे मानक परिभाषित करने के लिए हितधारकों से अलग से परामर्श करेगा।

विशेष पोर्टिंग कोड के आवंटन और वितरण के दौरान सब्सक्राइबर संबंधी मुद्दों को देखना

57. विशेष पोर्टिंग कोड के आवंटन और वितरण के दौरान, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पात्रता की सभी शर्तों की जांच करने के बाद प्रत्येक अनुरोध के लिए विशेष पोर्टिंग कोड सृजित किया जाए। यदि सब्सक्राइबर का पोर्ट का अनुरोध विशेष पोर्टिंग कोड के लिए अर्हक नहीं है या उस समय कोई तकनीकी समस्या है तो इसकी उचित और समय पर सूचना जरूर दी जाए। यह पूरी प्रक्रिया लाइसेंसर और भाद्विप्रा की जांच के अधीन है। विशेष पोर्टिंग कोड प्राप्त करने और उसका नंबर पोर्ट करने की प्रक्रिया के दौरान सब्सक्राइबर को अपने पोर्टिंग अनुरोध पर कार्यवाही के दौरान कुछ क्वेरी/मामलों का सामना कर पड़ सकता है।
58. सब्सक्राइबरों के मुद्दों/शिकायतों को संभालने के संबंध में एक हितधारक ने पोर्टिंग प्रक्रिया की कार्यप्रणाली को सुगम बनाने, फर्जी पोर्टिंग पर रोक लगाने, सब्सक्राइबरों की शिकायतों का समाधान करने के लिए एमएनपीएसपी की जवाबदेही बढ़ाने की मांग की है। हितधारक ने प्रस्ताव किया है कि पोर्टिंग अनुरोधों के चरणों को पूरा करने के बारे में सब्सक्राइबर को सूचना देने, अनुरोध की स्थिति निर्दिष्ट करने (स्वीकृत है या अस्वीकृत), सब्सक्राइबरों की एमएनपी संबंधी शिकायतों का समाधान करने के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने की जिम्मेदारी एमएनपीएसपी की होनी चाहिए।
59. एक और हितधारक ने कहा कि एमएनपीएसपी को एसएमएस के माध्यम को छोड़कर सब्सक्राइबरों से सीधे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे अरब से अधिक सब्सक्राइबरों से कई भाषाओं में सीधे बात करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। ऑपरेटरों के पास अपरिमित संसाधन और कॉल सेंटर हैं और वे इस काम को कुशलतापूर्वक कर रहे हैं। हितधारक ने यह भी कहा है कि यदि एमएनपीएसपी को सब्सक्राइबरों के संचार का संचालन करना है तो उन्हें मुहैया कराए गए मूल्य में अत्यधिक वृद्धि करनी होगी। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ हितधारकों ने प्रस्ताव दिया है कि एमएनपीएसपी एक पोर्टल मुहैया करा सकते हैं, जिसमें दाता प्रचालक विशेष पोर्टिंग कोड, पोर्टिंग आदि की स्थिति जान सकते हैं।

60. प्राधिकरण ने हितधारकों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों का विश्लेषण किया और उनका यह मत है कि सब्सक्राइबर्स को एमएनपीएसपी से सीधे बात करने की जरूरत नहीं है, इसके दो कारण हैं, पहला, सब्सक्राइबर अपने सेवा प्रदाता से बात करने से परिचित होते हैं, जिनके पास सब्सक्राइबर्स की शिकायतों का प्रभावी तरीके से समाधान करने के लिए अपने संसाधन और कॉल सेंटर पहले से होते हैं। इसके विपरीत, सब्सक्राइबर्स की पूछताछ और कॉल को संभालने के लिए एमएनपीएसपी को अपनी ओर से इन संसाधनों की व्यवस्था को दोहराना होगा। दूसरा, विशेष पोर्टिंग कोड का सृजन और आवंटन करने से पहले दाता प्रचालक के डाटाबेस से की गई जांच के जवाब में एमएनपीएसपी को केवल 'हां' या 'नहीं' में सूचना प्राप्त करनी होगी, और एमएनपीएसपी के पास सब्सक्राइबर के विभिन्न आधारों और अनुरोध को अस्वीकृत करने के विशिष्ट कारणों के बारे में कोई दूसरी जानकारी नहीं होगी। इसलिए कॉल और पूछताछ संभालने के लिए एमएनपीएसपी को अधिदेश के देने के स्थान पर सब्सक्राइबर्स की पूछताछ और शिकायतों का समाधान करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता बेहतर स्थिति में होगा।
61. हालांकि प्राधिकरण का मानना है कि सब्सक्राइबर को असुविधा नहीं होनी चाहिए और वो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके नियत सूचना प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए। इसलिए एमएनपीएसपी द्वारा प्रबंधित वेब पोर्टल और/या एप, जो दाता प्रचालक और सब्सक्राइबर (ओटीपी आधारित अधिप्रमाणन) को सुलभ है, पोर्टिंग की प्रगति या अस्वीकरण, यदि कोई हो, के बारे में सूचना सब्सक्राइबर को देने में उपयोगी होंगे। इससे दूरसंचार सेवा प्रदाता या एमएनपीएसपी को मिलने वाली पूछताछ/शिकायतों में कमी आएगी।

विशेष पोर्टिंग कोड के आवंटन और वितरण तथा सब्सक्राइबर को कम्युनिकेशन भेजने से जुड़ी लागतें

62. ऊपर बताए गए विषय पर एक हितधारक ने कहा है कि ड्राफ्ट विनियम के अनुसार, विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने के लिए एमएनपीएसपी को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार पक्ष के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। एमएनपीएसपी द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने के लिए लागत में वृद्धि की संभावना हो सकती है। हितधारक ने यह भी कहा है कि वर्तमान में लगभग 2 विशेष पोर्टिंग कोड अनुरोध पर 1 पोर्ट अनुरोध का अनुपात है। इसलिए पोर्टिंग हेतु अनुरोध को संसाधित करने के अलावा संसाधित किए गए प्रत्येक विशेष पोर्टिंग कोड अनुरोध के लिए एमएनपीएसपी को उचित टैरिफ का भुगतान किया जाना चाहिए। यदि प्राधिकरण यह नियम बनाता है कि सफल पोर्ट के टैरिफ में विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने की लागत भी शामिल की जानी चाहिए तो तदनुसार शुल्क समायोजित किया जाना चाहिए।
63. संबंधित लागतों के पहलुओं पर प्राधिकरण का यह मत है कि प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभारों की अलग से समीक्षा की जाएगी और इन प्रभारों में एमएनपीएसपी द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड सृजन करने की लागत और विभिन्न चरणों में एसएमएस भेजने की लागत भी शामिल की जाएगी। इसके लिए हितधारकों से अलग से परामर्श किया जाएगा।

संशोधन के कार्यान्वयन की समयावधि

64. ड्राफ्ट संशोधन विनियमों में, कार्यान्वयन हेतु सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के बाद छह माह का समय निर्धारित किया गया है। एक हितधारक ने अनुरोध किया है कि किए जा रहे बदलावों के महत्व, कई संस्थाओं द्वारा बदलाव करने के कारण कठोर परीक्षण की आवश्यकता है, इसलिए प्राधिकरण को विस्तार के लिए कुछ पक्षों के द्वारा समय बढ़ाने के अनुरोधों के लिए तैयार रहना चाहिए।
65. एक और हितधारक ने कहा है कि सरकारी राजपत्र में विनियम के प्रकाशन की तारीख के बाद, उद्योग के पास बदलावों को लागू करने के लिए 6 माह का समय होगा, जिसके बाद, नया विनियम लागू हो जाएगा। नई एमएनपी प्रक्रिया को लागू करने के लिए एमएनपीएसपी और दूरसंचार सेवा प्रदाता को नए हार्डवेयर खरीदने होंगे और अपने संबंधित

एप्लिकेशन में बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर में बदलाव करने होंगे। यह अनुमान है कि नए विनियम के लागू होने से पहले प्रत्येक ऑपरेटर के साथ एंड-टू-एंड प्रोसेस फ्लो टेस्टिंग भी अपेक्षित होगी।

66. प्राधिकरण का यह मत है कि संशोधन विनियमों को लागू करने के लिए छह माह का समय पर्याप्त है।
- प्रीपेड सब्सक्राइबर्स के मामले में अव्ययित शेष को वापस करना
67. पोर्टिंग की सामान्य परिस्थितियों में, वर्तमान विनियम, पोर्टिंग के समय प्रीपेड सब्सक्राइबर्स के मामले में अव्ययित शेष को वापस नहीं करता है। प्राधिकरण को सब्सक्राइबर्स से इस मुद्दे पर असंख्य पत्र प्राप्त हुए हैं, इसके अलावा, हाल के मामलों में कुछ ऑपरेटरों की सेवाएं शॉर्ट नोटिस पर या अचानक बंद कर दी गई हैं। इस मुद्दे पर कई हितधारकों ने 6 अप्रैल, 2018 को प्राधिकरण द्वारा जारी परामर्श पत्र के जवाब में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की थी। कुछ हितधारक पोर्टिंग पर अव्ययित प्रीपेड शेष को वापस करने के लिए प्रावधान करने के पक्ष में थे। एक हितधारक ने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और बैंक खाते के माध्यम से रिफंड का सुझाव दिया था। जबकि कई हितधारकों ने इस पर चिंता प्रकट की थी कि इसको लागू करने में शामिल प्रशासनिक लागत अधिकांश प्रीपेड सब्सक्राइबर्स के मामले में अव्ययित शेष से अधिक होगी।
68. हितधारक ने यह भी कहा कि मौजूदा टैरिफ प्लान और फ्री कॉलस और कुछ जीबी डेटा प्रतिदिन के साथ मौजूदा विकल्पों की संरचना के कारण सब्सक्राइबर्स के लिए मुख्य खाते में प्रीपेड बैलेंस रखने की आवश्यकता में काफी कमी आई है। हितधारकों का यह भी मत था कि पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति जमा के अलावा, टॉक टाइम बैलेंस को समान मौद्रिक मूल्य में नहीं बदला जा सकता जो पोर्टिंग के समय सब्सक्राइबर को वापस किया जा सकता है।
69. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों की टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकरण का यह मत है कि सामान्य परिस्थितियों में सब्सक्राइबर द्वारा जानबूझ कर कराए गए पोर्टिंग के मामले में सब्सक्राइबर को अपना प्रीपेड मोबाइल नंबर को पोर्ट करने का निर्णय लेने से पहले अपने अव्ययित शेष को उपयोग करना होगा। साधारण पोर्टिंग प्रक्रिया के अलावा, कतिपय असाधारण परिस्थितियां जैसे सेवा का अकस्मात बंद होना, लाइसेंस/स्यैक्ट्रम को वापस करना आदि देखने में आई हैं। सब्सक्राइबर्स के हितों की रक्षा करने के लिए प्राधिकरण ने प्रीपेड मोबाइल सब्सक्राइबर्स के अव्ययित शेष को वापस करने के लिए संबंधित सेवा प्रदाताओं को निदेश जारी किए थे। प्राधिकरण का यह मानना है कि किसी ऐसी अप्रत्याशित स्थिति, जिसमें सब्सक्राइबर को उसकी इच्छा के खिलाफ पोर्ट आउट के लिए विवश किया जाता है, का समाधान प्रचलित पद्धति के अनुसार समय-समय पर निदेश जारी करके किया जाएगा।
- गैर भुगतान डिस्कनेक्शन अनुरोध के तहत मोबाइल नंबर को फिर से कनेक्ट करना
70. परामर्श पत्र के जरिए, ऐसे मामलों में जहां सब्सक्राइबर डिस्कनेक्शन के बाद (मगर साठ दिन की अवधि समाप्त होने से पहले) भुगतान कर देता है, तो प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा एमएनपीएसपी को प्रस्तुत गैर-भुगतान डिस्कनेक्शन (एनपीडी) अनुरोध के बाद भी मोबाइल नंबर को फिर से चालू करने के मुद्दे को उठाया गया था। मौजूदा एमएनपी विनियम में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामले देखने में आए हैं जिनमें सब्सक्राइबर वास्तविक दिक्कतों के चलते नोटिस की अवधि के भीतर भुगतान करने में समर्थ नहीं हो सके हैं और वे अपना मोबाइल नंबर वापस लेने के लिए पूरी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। मगर मौजूदा प्रक्रिया में वे अपना मोबाइल नंबर वापस पाने में असमर्थ हैं और उनका नंबर, नंबर रेंज धारक को वापस कर दिया जाता है। मौजूदा परिदृश्य में इस तथ्य को देखते हुए कि मोबाइल नंबर काफी अधिक महत्वपूर्ण बन गया है, जिसको गंवाने से गंभीर व्यक्तिगत और वित्तीय परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सब्सक्राइबर के नंबर को पुनः एक्टिवेट करने के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं।
71. हितधारक इस पर सहमत हैं कि नंबर रेंज धारक को नंबर वापस नहीं करने के समय तक, दाता प्रचालक और प्राप्तकर्ता प्रचालक के साथ सब्सक्राइबर का सत्यापन करने और 60 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान प्राप्त होने पर एमएनपीएसपी

की मदद द्वारा नंबर को फिर से प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा एक्टिवेट किया जा सकता है। प्राप्तकर्ता प्रचालक के अनुरोध पर एमएनपीएसपी को वापसी प्रक्रिया को समाप्त करना होगा। प्राधिकरण का यह मत है कि यह व्यवस्था प्राप्तकर्ता प्रचालक और दाता प्रचालक, दोनों के लिए लाभप्रद होगी, क्योंकि दाता प्रचालक पोर्ट करा चुके सब्सक्राइबर से अपने बकायों को वसूल करने और प्राप्तकर्ता प्रचालक सब्सक्राइबर को अपना बनाए रखने में समर्थ होता है।

एमएनपीएसपी द्वारा मुहैया कराई गई सहायक सेवाओं के प्रभार

72. परामर्श प्रक्रिया में सहायक सेवाओं के प्रभार का मुद्दा हितधारकों की टिप्पणी के लिए शामिल गया था। कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया था कि ये प्रभार नंबर वापस करने, डाटाबेस का डाउनलोड, पोर्ट को रद्द करना और सब्सक्राइबर रिकनेक्शन कार्यों के लिए इसके संसाधनों के प्रयोग के लिए अतिरिक्त सेवाएं मुहैया कराने के लिए मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता को दिए जाने चाहिए। तदनुसार, निम्नलिखित कार्य करने के लिए एमएनपीएसपी को देय सहायक प्रभारों के लिए विनियम में प्रावधान किया गया है:

क) गैर-भुगतान सहित किसी अन्य कारण से डिस्कनेक्शन के बाद नंबर रेंज धारक को मोबाइल नंबर वापस करने को सुगम बनाने के लिए 'नंबर वापसी प्रभार' के लिए प्रावधान किया गया है।

ख) पहुंच प्रदाता द्वारा नंबर पोर्टबिलिटी डाटाबेस डाउनलोड करने के लिए 'डाउनलोड प्रभार' का प्रावधान किया गया है।

ग) दाता प्रचालक के सब्सक्राइबर के 'पोर्ट वापस लेने' के अनुरोध के निष्पादन के लिए 'पोर्ट रद्दकरण प्रभार' का प्रावधान किया गया है।

घ) प्राप्तकर्ता प्रचालक के नेटवर्क पर पोर्ट करा चुके सब्सक्राइबर को फिर से कनेक्ट करने को सुगम बनाने के लिए 'सब्सक्राइबर रिकनेक्शन प्रभार' का प्रावधान किया गया है।

ड.) पोस्टपेड सब्सक्राइबर, जिसने अपना नंबर पोर्ट कराने के बाद दाता प्रचालक के बकायों का भुगतान नहीं किया है, के मोबाइल नंबर के डिस्कनेक्शन को सुगम बनाने के लिए 'गैर-भुगतान डिस्कनेक्शन' प्रभार के लिए प्रावधान किया गया है।

73. प्रारूप विनियम में किए गए ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के प्रत्युत्तर में कुछ हितधारकों ने एमएनपीएसपी को देय सहायक प्रभारों का समर्थन किया है, एक हितधारक ने कहा है कि वह सहायक सेवा प्रभार को शामिल करने के मामले पर सहमत है। दूसरे हितधारक ने सुझाव दिया कि गैर-भुगतान डिस्कनेक्शन एमएनपीएसपी द्वारा मुहैया कराई गई सेवा है और दाता प्रचालक द्वारा देय 'गैर-भुगतान डिस्कनेक्शन प्रभार' शामिल किए जाने चाहिए।

74. जिन हितधारकों ने सहायक सेवा प्रभार लेने का समर्थन नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि 4 रु. प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार, जो एमएनपीएसपी प्राप्तकर्ता प्रचालक से लेता है, में सभी लागतें शामिल हैं। प्राप्तकर्ता प्रचालक और दाता प्रचालक द्वारा क्रमशः रिकनेक्शन या रद्दकरण के मामले में, वर्तमान में सब्सक्राइबरों से प्रभार नहीं लिए जा रहे हैं, इसलिए एमएनपीएसपी को इन कार्यों के लिए एक्सेस प्रदाताओं से प्रभार लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

75. हितधारकों ने यह भी सुझाव दिया कि मोबाइल नंबर का रिकनेक्शन पूरी तरह से सब्सक्राइबर और दूरसंचार सेवा प्रदाता के बीच का मामला है, जिसके लिए केवल दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा पुनः प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है और उन्हें इसमें एमएनपीएसपी के लिए कोई भूमिका नजर नहीं आती है, इसलिए एमएनपीएसपी को रिकनेक्शन प्रभार देने की का कोई औचित्य नहीं है।

76. प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों की जांच की है। प्राधिकरण का यह मत है कि सहायक सेवाओं के लिए प्रावधान विनियम में बना रहेगा, बशर्ते, प्रभारों की वास्तविक राशि को परिभाषित करने के समय परामर्श किया जाएगा अन्यथा इनको प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभारों के रूप में शामिल कर लिया जाएगा।